कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल

पत्र संख्याः– 42 /नि0वि0/2018

दिनांकः– 30-01-2018

ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, सम्भल में पंजीकृत/नवीनीकृत व भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित निम्न कार्य/पार्क (बच्चों के खेल का मैदान) के सुदृढ़ीकरण हेतु दिनांकः–20.02.2018 समय 03.00 बजे तक द्वि–निविदा द्वारा ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। बेबसाइट www.etender.up.nic.in पर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन भुगतान (भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्याः–37476141594, IFSC CODE-SBIN0000711, BANK CODE-0711 मे) निर्धारित मूल्य (जीएसटी सहित) जमा कर निविदा प्रकाशन की दिनांक से 20.02.2018 दोपहर 12.00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है तथा डाउनलोड की गई निविदाओं को निविदा प्रकाशन की दिनांक से 20.02.2018 दोपहर 01.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जोकि अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगी। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांकः–20.02.2018 सांय 3.00 बजे नगर पालिका परिषद, सम्भल के कार्यालय में खोली जायेगी एवं सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी बिड अर्ह/बैध पाये जाने की स्थिति में वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना पृथक से पोर्टल पर अलग से अपलोड कर दी जायेगी। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

ई–निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेबसाइट पर ही अपलोड किया जायेगा। संशोधित ई–निविदा ही मांन्य होगी। निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त बेबसाईट पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। बेबसाईट पर पंजीकरण कभी भी कराया जा सकता है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नही हो पायेगा। उपरोक्त ई– निविदा सूचना का विस्तृत विवरण एवं शर्ते बेवसाइट www.etender.up.nic.in पर एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल में भी उपलब्ध है।

क्र0 सं0	कार्य योजना का नाम	स्वीकृत लागत		धरोहर धनराशि (रू0 लाख मे)	निविदा मूल्य (28%) जीएसटी सहित।	कार्य की अवधि
		योजना (धनराशि लाख मे)	अनुरक्षण एवं रख–रखाव (5 वर्ष तक) (धनराशि लाख मे)			
01	बच्चों के खेल का मैदान/पार्क का सौन्दर्यीकरण।	52.70	8.95	5.27	6750/–	2 माह

शर्ते –

01– किसी भी अथवा समस्त ई–निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।

02– सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी। तकनीकी बिड में अर्हता प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड बाद में खोली जायेगी।

03– तकनीकी बिड में निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूपों पर आवश्यक अर्हताओं के स्वयँ प्रमाणित प्रतियाँ रखी जायेंगी। आवश्यक अर्हताओं का विवरण निविदा प्रपत्र में निहित होगा।

04– शासनादेशों के अनुपालन में ठेकेदारों/निविदादाताओं की निविदा की दरें 15 प्रतिशत से अधिक न्यून (बिलो) प्राप्त होने की दशा में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

05– यदि निविदादाता आगणन से कम पर निविदा डालता है तो उसे शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/8टी0सी0/2 लखनऊ दिनांकः–08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोर्मेन्स सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

06– भविष्य निधि संगठन कार्यालय में ठेकेदार/फर्म का पंजीयन (ईपीएफ कोड) होना अनिवार्य है।

07– निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व उ0प्र0 भवन एव कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 2005) के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्यार्थ श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

08– प्रमुख सचिव के पत्र संख्या–3385/86–2015–292/2015 दिनांकः–15 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान वैध अभिवहन प्रपत्र (एफ0एम0–11) के आधार पर परिवहन किये जाये। बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0–11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ–साथ खनिज मूल्य (सामान्य रायल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।

09– निविदादाता द्वारा किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है वह टैण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नही कर सकेंगे।

10– फर्म द्वारा यदि कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो फर्म द्वारा इस हेतु जारी अधिकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

11– फर्म द्वारा वार्षिक निर्माण कार्य के साथ–साथ सम्बन्धित पार्क का 05 वर्ष तक अनुरक्षण एवं रख–रखाव किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में जमा की गयी 10 प्रतिशत जमानत धनराशि पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने/अनुरक्षण अवधि सन्तोषजनक समाप्त होने के पश्चात् ही वापस की जायेगी।

(2)

J.E

12- टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त् निर्धारित कीमत के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा।

13- टैण्डर के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्व-घोषणा-पत्र, शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14- स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

15- लेबर सैस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से नियमानुसार की जायेगी।

16- कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।

(राशिद अली खाँ)
उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

(आरिफा)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल

संख्या एवं दिनांक – तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निदेशक/मिशन निदेशक (अमृत) महोदय, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
02. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय, सम्भल।
03. उप जिलाधिकारी महोदय, सम्भल
04. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महोदय, सम्भल।
05. कार्यालय नगर पालिका परिषद, सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
06. संवाददाता दैनिक जागरण .... एवं संवाददाता अमर उजाला .... दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, सम्भल को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को आगामी अंक में फान्ट साइज 7 में सिंगल स्पैस में सरकारी दरों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
07. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सम्भल

आरिफा
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, सम्भल